(iv) **नैदानिक**

(क) हीमोग्लोबिन, पेशाब की जांच सरीखी जाचं सुविधाएं;

(ख) कुष्ठ रोग, क्षय रोग अथवा स्थानिकमारी वाले रोगों का नैदानिक रूप से पता लगाना;

(ग) कैंसर आदि की जांच;

(v) **विशेषीकृत सुविधाएं एवं सेवाएं**

(क) एक्स-रे;

(ख) ई.सी.जी.;

(ग) अल्ट्रासाउंड जांच;

(vi) आपदा या महामारी या जन स्वास्थ्य आपातकाल या दुर्घटनाओं आदि के समय में आपातकाल सेवाएं और परिचर्या।

(2) सचल जेनेटिक क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विनियमन

(क) अल्पसेवित जनसंख्या द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए शहरी मलिन बस्तियों या ग्रामीण या दूर दराज या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करते हुए सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में एक सचल जेनेटिक एकक प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का संचालन करेगा एवं प्रदान करेगा।

(ख) किसी भी परिस्थिति में मशीन का प्रयोग भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) केवल प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाले स्टैंड एलोन सचल अल्ट्रासाउंड एकक प्रतिबंधित है।

(घ) नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाला सचल चिकित्सीय एकक के पास रोगियो को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

3. उक्त नियमों में नियम 4 में उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(iii) एक जेनेटिक क्लिनिक के पंजीकरण में एक सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सचल जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण भी शामिल होगा और ऐसा वाहन ही मोबाईल जेनेटिक एकक के रूप में पंजीकृत होगा।

4. उक्त नियमों में नियम 6 में उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियमों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) क (क) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति को पंजीकृत सचल चिकित्सीय एकक द्वारा वाहन में एक सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।